



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062021-228019
CG-DL-E-30062021-228019

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2455]
No. 2455]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 2021/आषाढ़ 9, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2021/ASHADHA 9, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

का.आ. 2646(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक अथवा समीचीन है, अतः एतद्वारा पूरी तरह रबड़ और पूरी तरह पॉलीमरिक सामान और इसके घटकों से निर्मित फुटवियर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पूरी तरह रबड़ और पूरी तरह पॉलीमरिक सामान और इसके घटकों से निर्मित फुटवियर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 कहा जायेगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. पूरी तरह रबड़ और पूरी तरह पॉलीमरिक सामान और इसके घटकों से निर्मित फुटवियर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में पैरा 1 के उप-पैरा (2) को निम्नलिखित उप-पैरा से प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“(2) यह आदेश दिनांक 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगा।”

[फा.सं. पी-27025/4/2020-चमड़ा]

वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

नोट : यह प्रमुख आदेश का.आ. 3858(अ), दिनांक 27 अक्टूबर 2020 तथा संशोधित का. आ. 4378(अ), दिनांक 4 दिसंबर 2020 के जरिये दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 30th June, 2021

S.O. 2646(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after Consulting the Bureau, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Footwear made from all- Rubber and all Polymeric material and its components (Quality Control) Order, 2020, namely: -

1. Short title and commencement— (1) This Order may be called the Footwear made from all-Rubber and all Polymeric material and its components (Quality Control) Amendment Order, 2021.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Footwear made from all -Rubber and all Polymeric material and its components (Quality Control) Order, 2020, in Paragraph 1 for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -

“(2) It shall come into force with effect from 1st July, 2022.”

[F. No.P- 27025/4/2020 - Leather]

VANDANA KUMAR, Jt. Secy.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 28 October, 2020 *vide number S.O. 3858(E)*, dated the 27th October, 2020 and amended *vide number S.O. 4378(E)* dated the 4th December, 2020.